# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## चतुर्थ सत्र

**समाचार भाग-1**

**संख्या**: 33

**शुक्रवार**, 14 **दिसम्बर**, 2018/23 **मार्गशीर्ष**, 1940 (**शक्**)

## सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

**समय**: 11.00 **बजे** (**पूर्वाह्न**)

**सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में** 11.00 **बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।**

1. **प्रश्नोत्तर**

(i) **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्याः 694 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 1041 के उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 1032 से 1040 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 1041 से 1064 तक के उत्तर दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 238 से 251 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

## 2. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

**श्रीमती आशा कुमारी**, **सभापति,** लोक लेखा समिति ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-

(i) समिति के 259वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 92वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के 191वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 324वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के 173वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 238वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि योजना विभाग से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति के 124वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना अष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है।

**श्री राम लाल ठाकुर**, **सदस्य,** लोक उपक्रम समिति ने समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के ऑडिट

पैरा संख्याः 3.11 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

**श्री सुरेश कुमार कश्यप**, **सभापति**, सामान्य विकास समिति ने समिति का सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)जोकि समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पर्यटन विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल**, **सभापति**, ग्रामीण नियोजन समिति ने समिति का 9वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

## 3. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

(i) **श्री राकेश जम्वाल**, **सदस्य** ने "प्रदेश के सात प्रदूषित शहरों में सुन्दरनगर के शामिल होने" से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

**माननीय मुख्य मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।

(ii) **श्री राकेश सिंघा**, **सदस्य** ने दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को पंजाब केसरी समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "वन अधिकार कानून के लिए गरजे किसान" विषय से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

**श्री आशीष बुटेल**, **सदस्य** ने भी इसी संदर्भ में दिए अपने नोटिस के अंतर्गत चर्चा में भाग लेते हुए कृषि मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

**कृषि मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।
**श्री राकेश सिंघा** ने स्पष्टीकरण मांगा।
**कृषि मंत्री** ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।
**श्री आशीष बुटेल** ने भी स्पष्टीकरण मांगा।
**कृषि मंत्री** ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

01.00 बजे अपराह्न, सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

02.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरंभ हुई।

## 4. <u>सरकारी संकल्प</u>

**श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया एवं चर्चा कीः-

> "यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि सशस्त्र बलों में हिमाचल का राज्य कोटा बढ़ाया जाए और एक नई हिमालयन रेजीमेंट का गठन किया जाए।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मंत्री
2. डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल
3. श्री राकेश पठानिया
4. श्री जगत सिंह नेगी
5. कर्नल इन्द्र सिंह
6. श्री राम लाल ठाकुर
7. श्री सुरेश कुमार कश्यप
8. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
9. श्री राकेश सिंघा

10.श्री बिक्रम सिंह जरयाल
11.श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष

हालांकि श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया लेकिन चर्चा करते हुए कहा - "जिस मंशा और नीयत से ये यहां प्रस्ताव लाए है, मुझे उस पर थोड़ा ऐतराज़ है। अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और केन्द्र में आपकी सरकार अब जाने वाली है। चुनावों के मद्देनज़र कहीं यह एक जुमला साबित न हो जाए।"

माननीय मुख्यमंत्री ने श्री जगत सिंह नेगी के इस विचार पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा - "माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही पावन एवं पवित्र भावना के साथ एक प्रस्ताव माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी ने यहां रखा। सारा सदन इनकी भावनाओं के साथ सहमत है। उस भाव को समझने की कोशिश हमारे माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी को करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव को अलग दिशा में ले जाने की बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।"

**प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ।**

## 5. <u>विधायी कार्य</u>

### सरकारी विधेयकों की पुरः स्थापना

श्री सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अनुमति दी गई।

## सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 12) पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने विधेयक पर चर्चा की:-

1. श्री राम लाल ठाकुर
2. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
3. श्री नरेन्द्र ठाकुर
4. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
5. श्री राकेश पठानिया
6. श्री हर्षवर्धन चौहान
7. श्री राकेश सिंघा
8. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
9. श्री रमेश चन्द ध्वाला

**माननीय मुख्य मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।

**श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु** ने स्पष्टीकरण मांगा।

**माननीय मुख्य मंत्री** ने स्पष्टीकरण दिया।

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड-2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 12) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

**स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक**, 2018 (2018 **का विधेयक संख्यांक** 12) **पारित हुआ।**

(ii) श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 13) पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने विधेयक पर चर्चा की:-

1. श्री राकेश पठानिया
2. श्री राकेश सिंघा

**माननीय मुख्य मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 व 32 विधेयक का अंग बने।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

**माननीय मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 13) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

**हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक**, 2018 (2018 **का विधेयक संख्यांक** 13) **पारित हुआ।**

(iii) **श्री जय राम ठाकुर**, **माननीय मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

**श्री राकेश सिंघा**, **सदस्य** ने विधेयक पर चर्चा की।

**माननीय मुख्य मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

**हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक**, 2018 (2018 **का विधेयक संख्यांक** 14) **पारित हुआ।**

(iv) **श्री वीरेन्द्र कंवर**, **माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने विधेयक पर चर्चा कीः-

1. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
2. श्री हर्षवर्धन चौहान
3. श्री जगत सिंह नेगी
4. श्री राकेश सिंघा

**माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।

**श्री राकेश पठानिया** ने स्पष्टीकरण मांगा।

**माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** ने स्पष्टीकरण दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 व 24 विधेयक का अंग बने।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

**हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक**, 2018 (2018 **का विधेयक संख्यांक** 11) **पारित हुआ।**

## 6. <u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख</u>

नियम-324 के अंतर्गत सर्वश्री सुख राम, सुरेश कुमार कश्यप तथा श्री आशीष बुटेल, सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के विषय प्रस्तुत हुए समझे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

## 7. <u>नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा</u>

श्री मुकेश अग्निहोत्री, सदस्य ने नियम-63 के अंतर्गत "केन्द्र और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में विलय न करने बारे चर्चा उठाई।"

**सदन की बैठक का समय** 05.30 **बजे सांय तक बढ़ाया गया।**

(**श्री रमेश चंद ध्वाला**, **सभापति पदासीन हुए।**)

निम्नलिखित ने नियम-63 के अंतर्गत चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री जगत सिंह नेगी
2. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु

(**माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।**)

3. श्री नन्द लाल
4. श्री राकेश सिंघा

सदन की बैठक का समय 06.00 बजे सांय तक बढ़ाया गया।

**माननीय बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।

(05.45 **बजे अपराह्न सदन की बैठक शनिवार**, **दिनांक** 15 **दिसम्बर**, 2018 **के** 11.00 **बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।**)